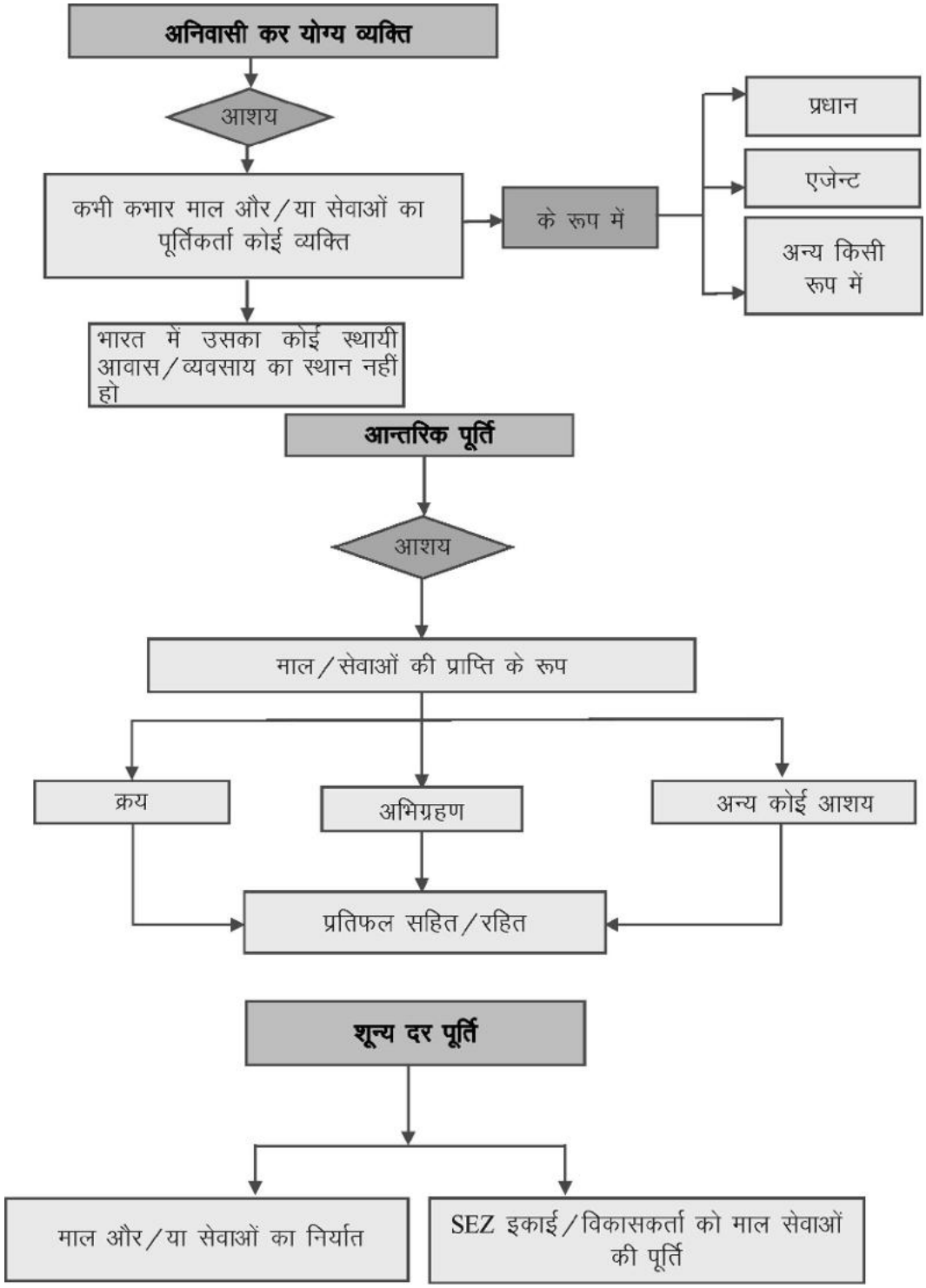

© The Institute of Chartered Accountants of India

II. ITC लेने सम्बन्धी धारा 16 के प्रावधानों के साथ पठनीय प्रासंगिक नियमों का सारांश प्रस्तुत है [Provisions of Section 16 relating to eligibility and conditions of taking ITC read with relevant rules are summarized below] :

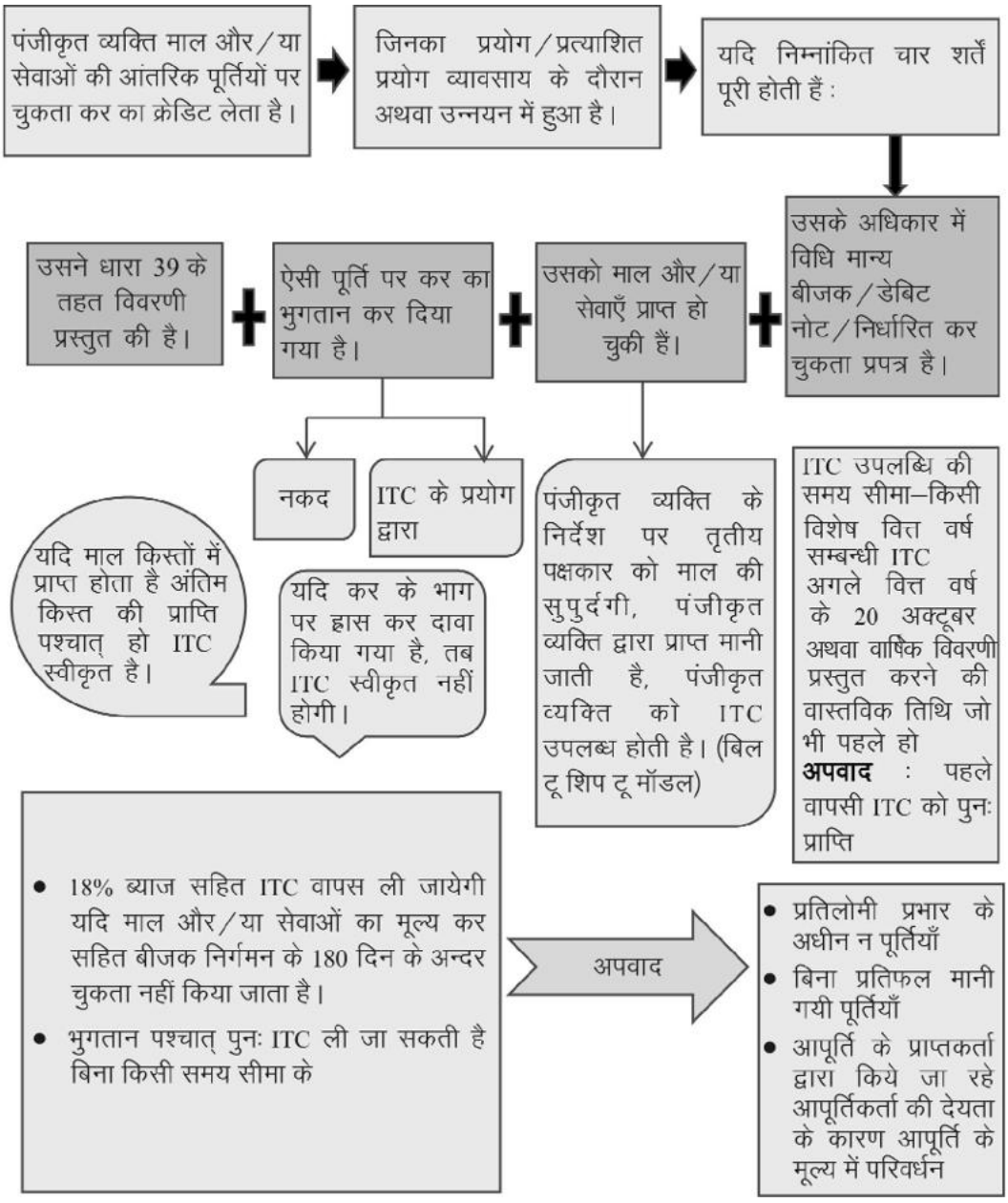

© The Institute of Chartered Accountants of India

III. ITC के विभाजन और ब्लौक्ड क्रेडिट सम्बन्धी धारा 17 के प्रावधानों के साथ पठनीय नियमों का सारांश प्रस्तुत है (The provisions of Section 17 relating to apportionment of credit and Blocked credit read with relevent rules are summarised as under) :

(A) **क्रेडिट का विभाजन**

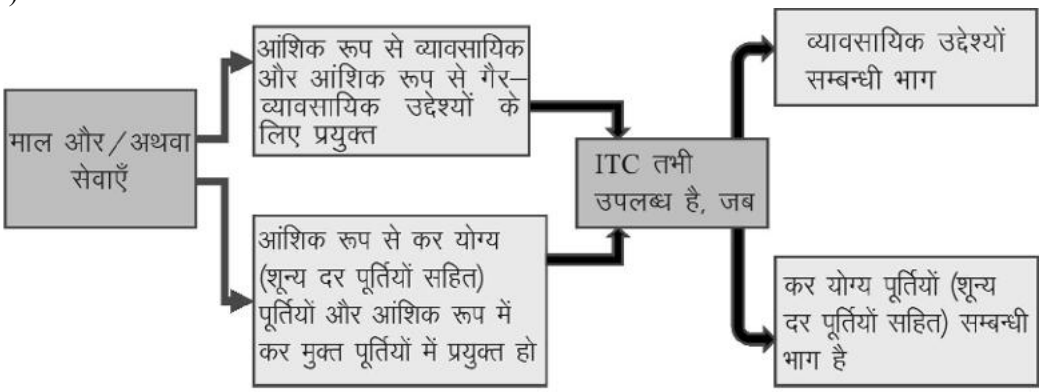

कर मुक्त पूर्तियों में शामिल है, प्रतिलोमी प्रभार के अधीन पूर्तियाँ प्रतिभूतियों में लेन–देन, भूमि का विक्रय, और भवन का ऐसा विक्रय जहाँ सम्पूर्ण प्रतिफल, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गमित पूर्णता प्रमाणपत्र पश्चात् प्राप्त हुआ है।

(B) **बैंकिंग कम्पनियों और NBFCs के लिये विशेष प्रावधान**

- शेष 50% ITC व्यतीत मानी जायेगी
- यदि उसी निकाय के अन्य व्यक्ति द्वारा की गयी पूर्तियों पर कर चुकता किया गया है, तब ऐसा 50% का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- वित्त वर्ष में एक बार विकल्प स्वीकारने के पश्चात् वर्ष के शेष भाग में उससे वापस नहीं लिया जा सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(C) **इनपुट्स और इनपुट सेवाओं की स्थिति में कॉमन क्रेडिट का विभाजन**
(Apportionment of common credit in case of Inputs and input services)

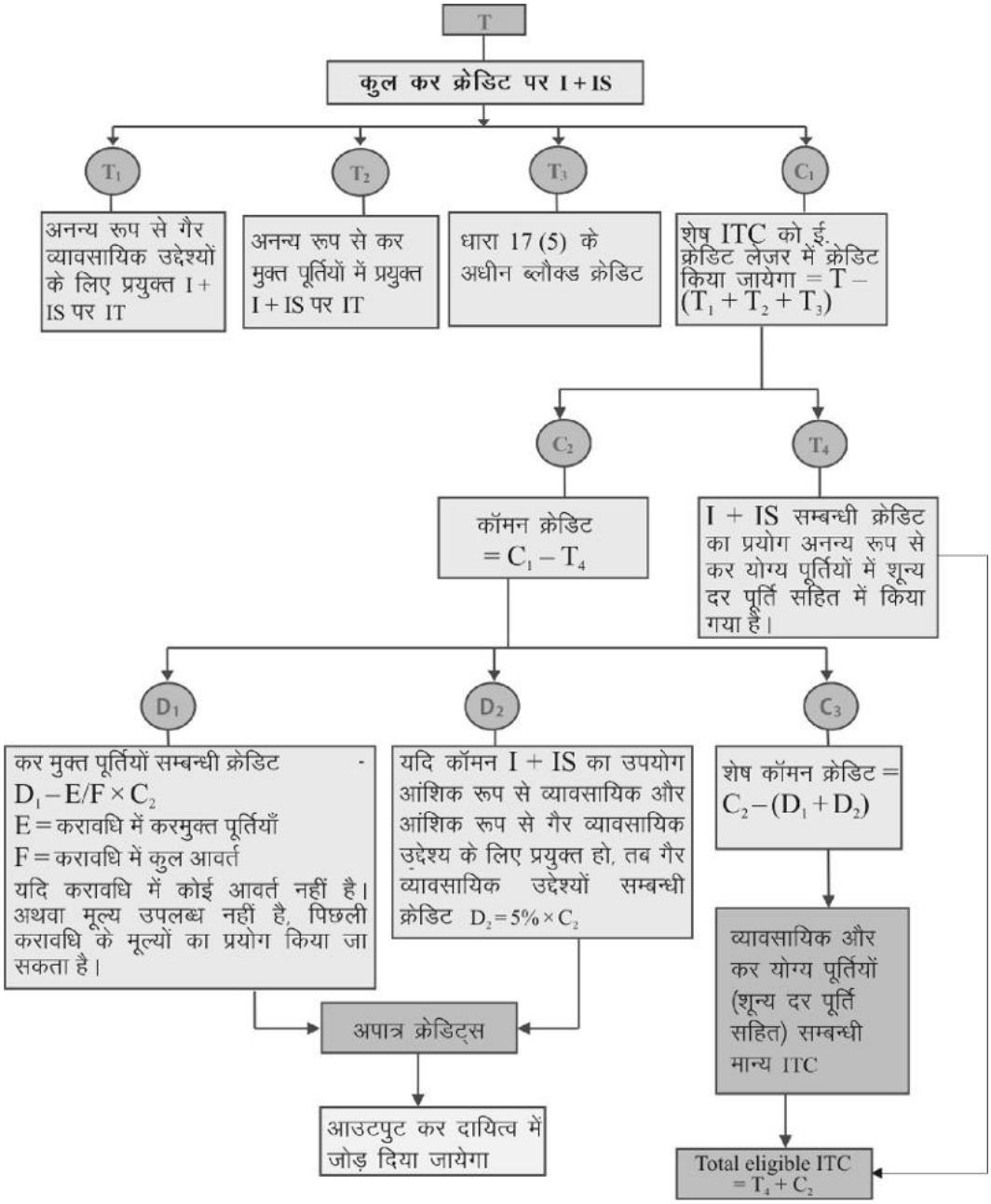

© The Institute of Chartered Accountants of India

- सम्बन्धी ITC के लिए C_3 पृथक–पृथक संगणित की जायेगी। CGST, SGST/UTGST और IGST
- $\sum(D_1 + D_2)$ की गणना सम्पूर्ण वित्त वर्ष के लिए की जायेगी, जिसमें सम्पूर्ण वित्त वर्ष के करमुक्त बिक्री और सकल बिक्री शामिल होंगे। यदि यह राशि प्रतिमाह आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गयी राशि से अधिक है, अन्तर राशि को आउटपुट टैक्स दायित्व में, अगले वर्ष के सितम्बर माह तक, किसी भी माह में 18% ब्याज सहित जोड़ा जायेगा, जिसकी गणना 1 अप्रैल अगली से प्रारम्भ करके वास्तविक भुगतान की तिथि तक की जायेगी।
- यदि यह राशि की मात्रा, आउटपुट कर दायित्व में प्रतिमाह जोड़ी गयी राशि से कम है। अतिरिक्त, चुकता राशि की वापसी का दावा GSTR-3 में अगले वर्ष के सितम्बर माह तक किसी भी माह में किया जा सकता है।

- करमुक्त आपूर्तियाँ सम्मिलित करती है रिवर्स चार्ज आपूर्तियाँ, प्रभूतियाँ में लेन–देन (transactions in securities), जमीन की बिक्री तथा भवन की बिक्री जहाँ पूरा मुआवजा समापन प्रमाण–पत्र/पहले कब्जे, जो भी जल्दी हो, प्राप्त हुआ।
- करमुक्त आपूर्तियाँ वर्जित करती है उन सेवाओं का मूल्य जिनकी आपूर्ति की जगह नेपाल/भूटान हो और उनका भुगतान भारतीय रुपयों में जमा स्वीकार करने की सेवाएँ, ऋण/उधार बढ़ाने की सेवा जिसका मुआवजा ब्याज/छूट में हो और वह उस संस्थान NBFC संहित नहीं हो तथा जहाज द्वारा माल को अन्य देश में ले जाने वाला परिवहन।
- कुल मुक्ति आपूर्तियों का कुल योग्य तथा कुल बिक्री वर्जित करते हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (Central excise duty), राज्य उत्पाद शुल्क (state excise duty) तथा योगित मूल्य कर (VAT)।

IT	=	इनपुट टैक्स
I	=	इनपुट्स
IS	=	इनपुट सेवाएँ
ECrl	=	इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
ZRS	=	शून्य दर पूर्ति
ES	=	करमुक्त पूर्ति

© The Institute of Chartered Accountants of India

(D) पूँजीगत माल पर कॉमन क्रेडिट का विभाजन

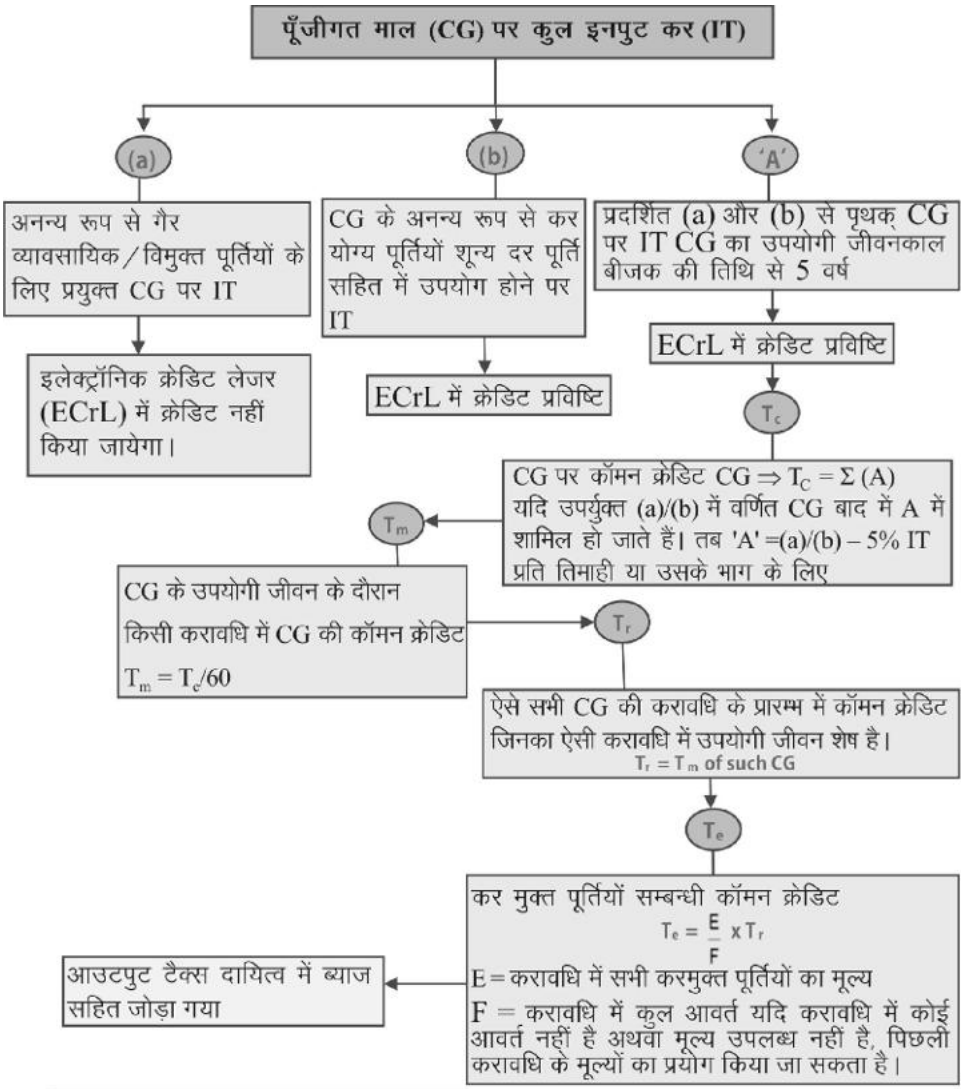

- CGST, SGST, UTGST और IGST सम्बन्धी ITC की गणना पृथक–पृथक की जायेगी।
- कर मुक्त पूर्ति में शामिल है प्रतिलोमी प्रभार पूर्तियाँ, प्रतिभूतियों में व्यवहार, भूमि का विक्रय और भवन का विक्रय जहाँ सम्पूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति पूर्णता प्रमाण–पत्र के पश्चात् है।
- करमुक्त आपूर्तियाँ वर्जित करती है उन सेवाओं का मूल्य जिनकी आपूर्ति की जगह नेपाल/भूटान दो और उनका भुगतान भारतीय रुपयों में हो, जमा स्वीकार करने की सेवाएँ, ऋण/उधार बढ़ाने की सेवा जिसका मुआवजा ब्याज/छूट में हो और वह उस संस्थान NBFC सहित नहीं हो तथा जहाज द्वारा माल को अन्य देश में ले जाने वाला परिवहन।
- कर मुक्त पूर्तियों के सकल मूल्य और कुल बिक्री में शामिल नहीं होता है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य आबकारी शुल्क और वैट।
- भूमि और भवन के सम्बन्ध में करमुक्त आपूर्ति का मूल्य स्टाम्प शुल्क मूल्य है और सुरक्षा के लिए ऐसी सुरक्षा के बिक्री मूल्य का 1% है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

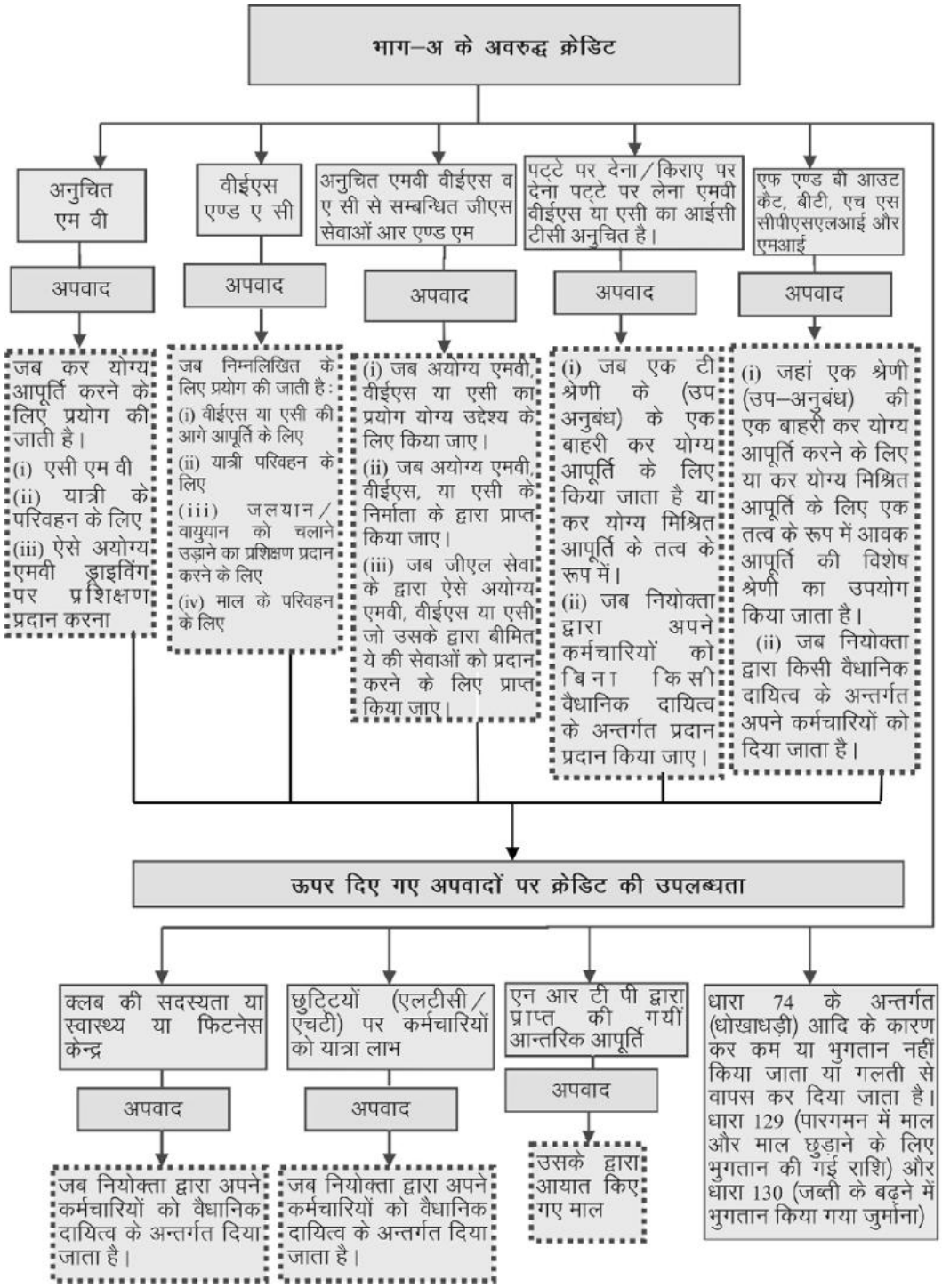

© The Institute of Chartered Accountants of India

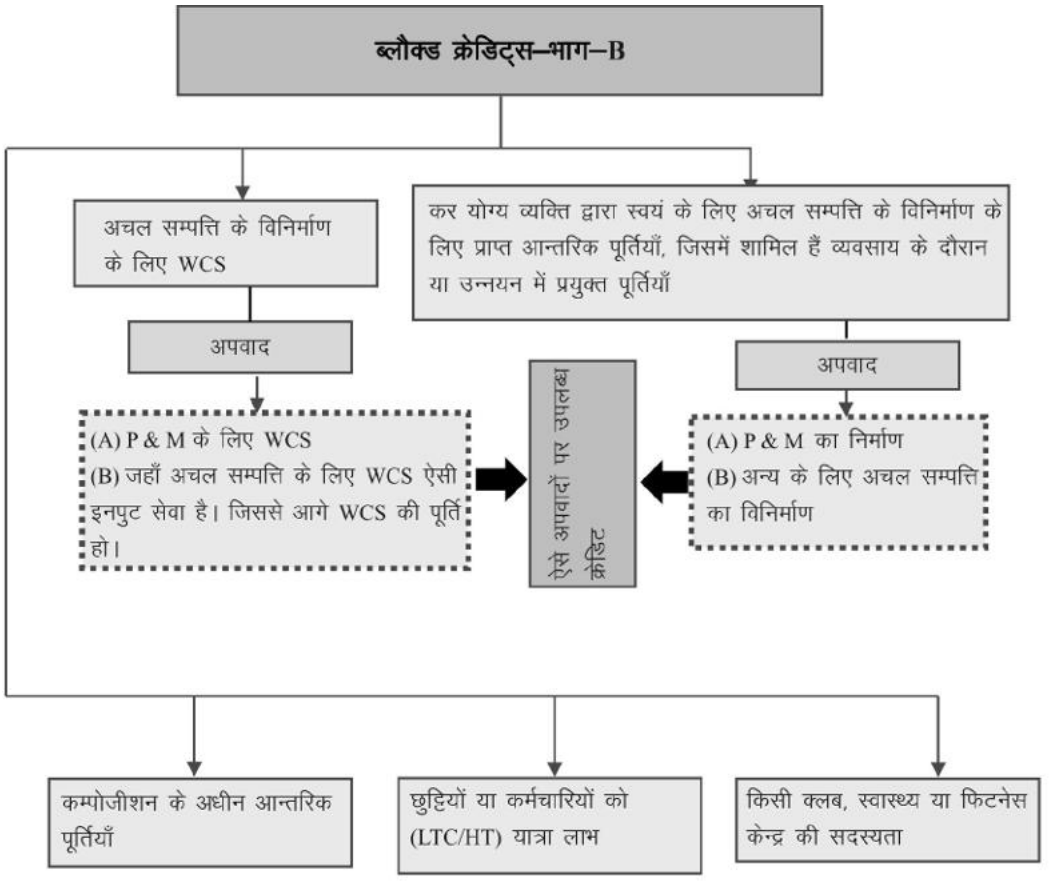

MV & OC = मोटरवाहन और अन्य सवारी; F & B = भोज्य एवं पेय पदार्थ; Out Cat = आउटडोर केटरिंग; BT = सौन्दर्योपचार; HS = स्वास्थ्य सेवाएँ; C&PS = कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी; NRTP = अनिवायी कर योग्य व्यक्ति; WCS = कार्य संविदा सेवाएँ; LTC = छुट्टी यात्रा रियायत; HT = गृहस्थली।

(A) विनिर्माण में शामिल है—पुनर्निर्माण/नवकरण/सम्वर्धन/परिवर्तन/मरम्मत, उपर्युक्त अचल सम्पत्ति, पूँजीकरण की सीमा तक

(B) P & M का आशय अपरेट्स उपकरणों और भूमि पर नींव से जुड़ी मशीनरी या ढाँचागत आधार परन्तु भूमि, भवन/अन्य सिविल संरचनाएं, दूर संचार टावर्स और कारखाने के बाहर डाली गयी पाइप लाइनें शामिल नहीं हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

III. धारा 18 के प्रावधान प्रासंगिक नियमों के साथ नीचे सारांशित रूप में प्रस्तुत (The provisions of section 18 read with relevant rules been summarized as under) :

(A) क्रेडिट उपलब्धि कारक विशेष परिस्थितियाँ (Special circumstances enabling availing by credit)

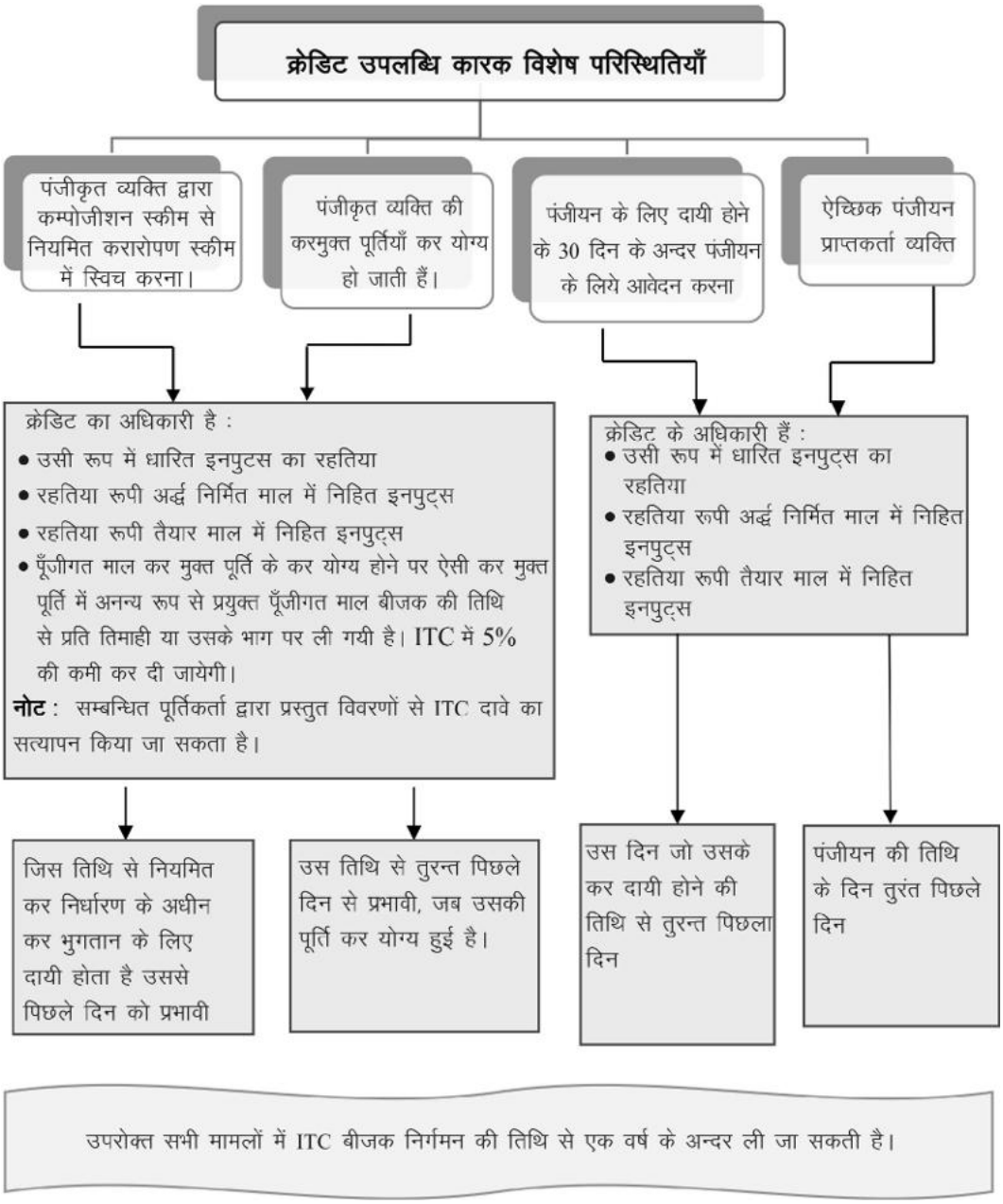

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्रेडिट उपलब्धि की शर्तें :

(i) रहतिया इनपुट्स रहतिया रूपी अर्द्ध निर्मित माल और तैयार माल में निहित इनपुट्स सम्बन्धी विवरणों की इलेक्ट्रॉनिक घोषणा द्वारा प्रस्तुति के साथ क्रेडिट के लिए मान्य होने की तिथि से तुरन्त पूर्व के दिन की स्थिति के रूप में घोषणा।

(ii) क्रेडिट के लिए ग्राह्य होने की तिथि 30 दिन के अन्दर ऐसी घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(iii) उपर्युक्त (i) के विवरणों का सत्यापन CA/Cost Accountant द्वारा कराया जायेगा यदि CGST, SGST, UTGST, IGST क्रेडिट्स का सकल योग ₹ 2,00,000 से अधिक है।

B. क्रेडिट की वापसी/राशि भुगतान कारक विशेष परिस्थितियाँ (Special circumstances leading to reversal of credit/payment of Amount

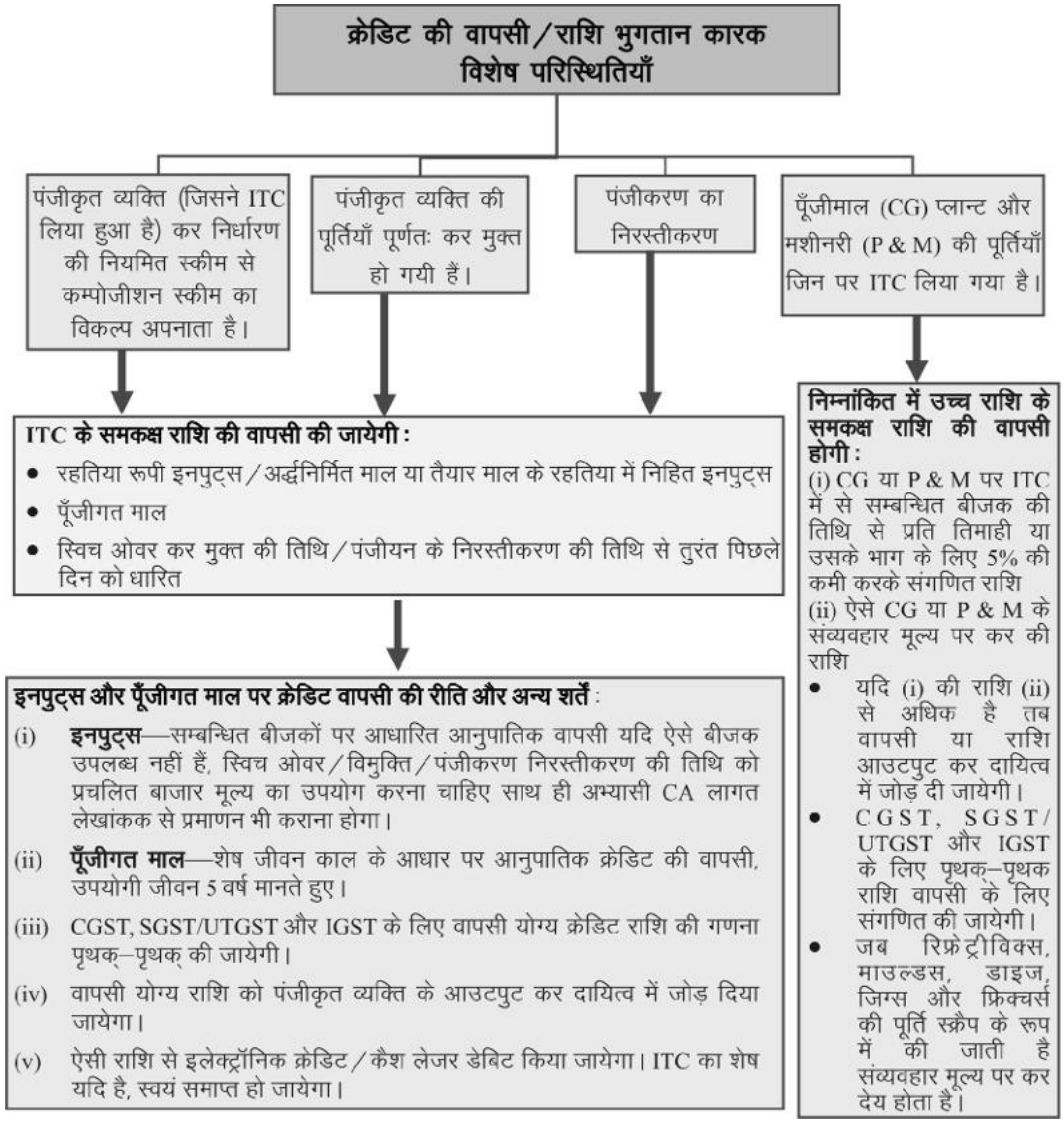

© The Institute of Chartered Accountants of India

पंजीकृत व्यक्ति के संविधान में परिवर्तन के कारण अप्रयुक्त ITC का अन्तरण	विक्रय मर्जर, संविलियन, पट्टा या व्यवसाय के अन्तरण की स्थिति में, नवीन निकाय को अप्रयुक्त ITC का अन्तरण किया जा सकता है। यदि नवीन निकाय को दायित्वों के अन्तरण का विशिष्ट प्रावधान है। इस प्रकार अंतरित इनपुट्स और पूँजीगत माल को अन्तरित लेखा पुस्तकों में उचित रूप से प्रविष्टि की जायेगी।
	डिमर्जर की स्थिति में, नवीन इकाई की सम्पत्तियों के डिमर्जर की स्कीम के अनुसार, मूल्य के आधार पर विभाजन कर दिया जायेगा।
	संविधान में परिवर्तन सम्बन्धी विवरण कॉमन पोर्टल पर अप्रयुक्त ITC के अन्तरण के अनुरोध सहित प्रस्तुत किये जायेंगे। CA/लागत लेखांकक द्वारा प्रमाणन का प्रमाणपत्र भी किया जायेगा कि संविधान में परिवर्तन दायित्वों के विशिष्ट रूप से अन्तरण के प्रावधानों के साथ किया गया है।
	ऐसे विवरणों की अंतरिती द्वारा स्वीकृति के पश्चात् अप्रयुक्त ITC को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जायेगा।

किसी भी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के भीतर व्यापार के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण प्राप्त करने पर अप्रयुक्त आईटीसी का स्थानांतरण	पंजीकृत व्यक्ति जिनके पास व्यवसाय के कई स्थानों के लिए अलग–अलग पंजीकरण हैं, पंजीकरण के समय उनके द्वारा धारण की गई सम्पत्ति के मूल्य के अनुपात में व्यापार के किसी भी या सभी नये पंजीकृत स्थान (S) पर अप्रयुक्त ITC को स्थानांतरित कर सकते हैं।
	सम्पत्तियों के मूल्य का आशय व्यवसाय की सम्पूर्ण सम्पत्ति का मूल्य है भले ही ITC का लाभ उठाया गया हो या नहीं।
	पंजीकृत व्यक्ति को इस तरह के अलग पंजीकरण प्राप्त करने से 30 दिनों की अवधि के भीतर आम पोर्टल पर निर्धारित विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।
	नये पंजीकृत व्यक्ति (हस्तांतरिती) द्वारा इस तरह के विवरण को आम पोर्टल पर स्वीकार किए जाने पर, अप्रयुक्त आईटीसी को उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

IV. ITC के उपयोग से सम्बन्धित प्रावधान निम्नानुसार संक्षेप हैं : (Provision Relating to Utilization of ITC and summarized as under) :

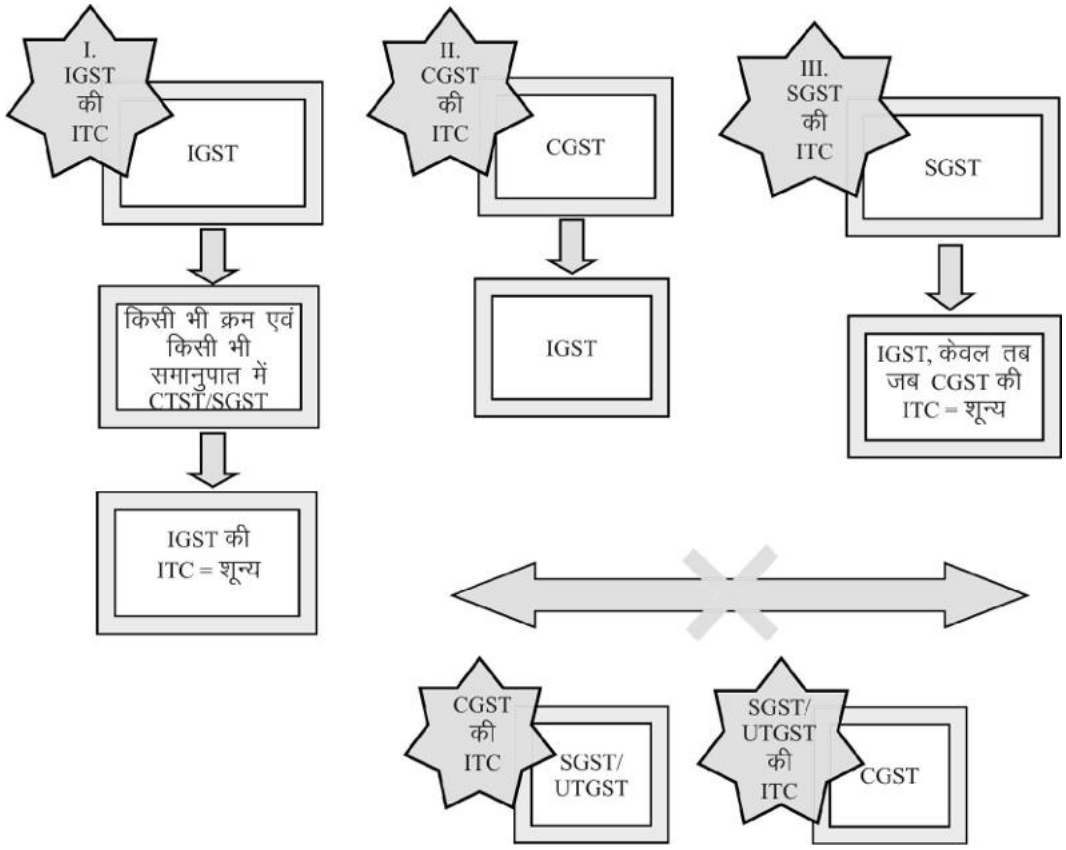

8. आपके ज्ञान का परीक्षण (Test Your Knowledge)

1. निम्नांकित में से किस स्थिति में करदाता को ली हुई क्रेडिट वापस करनी आवष्यक होती है?
   (a) यदि पूर्तिकर्ता को बीजक की तिथि से 45 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है।
   (b) यदि पूर्तिकर्ता को बीजक की तिथि से 90 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है
   (c) यदि पूर्तिकर्ता को बीजक की तिथि से 180 दिनों के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।
2. एक वित्त वर्ष से सम्बन्ध रखने वाले बीजक की ITC लेने की समय सीमा क्या है?
   (a) 180 दिन
   (b) 1 वर्ष

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) अगले वित्त वर्ष की सितम्बर के रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुति की तिथि जो भी पहले हो

(d) कोई सीमा नहीं

3. यदि माल की प्राप्ति लॉट्स या किस्तों में होती है :

(a) 50% ITC प्रथम किस्त के साथ और शेष 50% अंतिम किस्त के साथ ली जाती है।

(b) अंतिम किस्त की प्राप्ति पर ITC ली जा सकती है।

(c) प्रथम किस्त की प्राप्ति पर 100% क्रेडिट ली जा सकती है।

(d) प्रत्येक किस्त/लॉट के साथ आनुपातिक क्रेडिट ली जाती है।

4. ऐसी बैंकिंग कम्पनी जो इनपुट्स और इनपुट सेवाओं को आंशिक रूप से कर योग्य पूर्तियों में और आंशिक रूप से कर मुक्त पूर्तियों में उपयोग करती है, कौन सा कथन सत्य है?

(a) ITC आवश्यक रूप से कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर पूर्ति सहित) तक ही सीमित रहती है।

(b) इनपुट्स पूँजीमाल और इनपुट सेवाओं पर 50% ITC अनिवार्य रूप से उसी माह ली जायेगी और शेष स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(c) बैंकिंग कम्पनी (a) और (b) के मध्य विकल्प चुन सकती है।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

5. एक पूर्तिकर्ता पूँजीगत माल के GST तत्व पर आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार ह्रास लेता है। पूर्तिकर्ता कर सकता है–

(a) ऐसे कर तत्व के 50% तक ITC प्राप्त कर सकता है।

(b) ऐसे कर तत्व पर कोई ITC नहीं ले सकता है।

(c) ऐसे कर तत्व पर 100% ITC ले सकता है।

(d) ऐसे कर तत्व के 25% पर ITC ले सकता है।

6. जूतों की निर्माता कम्पनी के मामले में कौन–सी आन्तरिक पूर्ति ITC के लिये पात्र नहीं है

(a) खाद्य एवं पेय पदार्थ

(b) आउटडोर कैटरिंग

(c) स्वास्थ्य सेवाएँ

(d) उपर्युक्त सभी।

7. कम्पोजीशन कर दाता के लिये कौन सा कथन सत्य है?

(a) कम्पोजीशन कर दाता पूँजीगत माल पर 50% ITC प्राप्त कर सकता है।

(b) कम्पोजीशन कर दाता इनपुट्स 100% ITC ले सकता है।

(c) कम्पोजीशन कर दाता को आन्तरिक पूर्तियों पर ITC स्वीकृत नहीं है।

(d) कम्पोजीशन कर का ITC प्राप्तकर्ता को केवल तभी प्राप्त होगा जब कर का उल्लेख कम्पोजन कर दाता द्वारा बीजक में पृथक किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

8. इनपुट टैक्स क्या है?

9. ITC लेने के लिये क्या आवश्यक शर्तें हैं ?

10. क्या पूर्तिकर्ता को पूर्ति के मूल्य का कर सहित भुगतान किये बिना कोई व्यक्ति ITC ले सकता है।

11. ITC लेने की समय सीमा उसके कारणों सहित बताइए।

12. किसी नवीन पंजीकृत व्यक्ति के लिये ITC सम्बन्धित क्या अधिकार हैं ?

13. किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पूँजीगत माल की पूर्ति पर क्या कर प्रभाव होंगे, जिसने ऐसे पूँजीगत माल पर क्रेडिट लिया है?

14. एक पंजीकृत करदाता सूचना तकनीक के व्यवसाय में रत है उसने अपने कार्यकारी संचालक के लिये एक मोटर कार क्रय (अधिकतम बैठने की क्षमता–5 व्यक्ति) की है। ऐसे मोटर वाहन के क्रय पर चुकता GST के सम्बन्ध में क्या वह ITC प्राप्त कर सकता है ?

15. BMT लि. द्वारा भेजे गये मशीन टूल्स के बेचों का परीक्षण एवं प्रमाणन एक तकनीकी परीक्षण एजेन्सी द्वारा किया जाता है। इनमें से कुछ टूल्स SEZ स्थित इकाई को बिना GST भुगतान के भेजे जाते हैं क्योंकि ऐसी पूर्तियाँ कर योग्य नहीं हैं। BMT लि. के वित्तीय विभाग कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें परीक्षण एजेन्सी की सेवाओं सम्बन्धी SEZ पूर्तियों पर ITC की वापसी अपेक्षित है। विवेचना प्रस्तुत कीजिये।

16. एक गारमेन्ट फैक्टरी को कमान्डो यूनिट के लिये यूनिफार्म तैयार करने का आदेश सरकार से प्राप्त हुआ है। विशेष अधिसूचना के अधीन ऐसी पूर्ति कर मुक्त है। पूर्ति के लिये कपड़ा पृथक से प्राप्त किया गया, परन्तु कॉलर्स के लिये धागा और लाइनिंग सामग्री ऐसी है जिसका उपयोग कारखाने के कर योग्य उत्पादों में किया जाता है।

    कारखाने का अन्य उत्पादों और यूनिफार्म का बिक्री जुलाई माह के लिये क्रमशः ₹ 4 करोड़ और ₹ 1 करोड़ है, जुलाई के माह में क्रयीत धागे और लाइनिंग सामग्री पर ITC क्रमशः ₹ 5000 और ₹ 15,000 है।

    धागे और लाइनिंग सामग्री पर मान्य ITC की गणना कीजिये।

17. एक पंजीकृत व्यक्ति श्री A 30 जुलाई तक कम्पोजीशन स्कीम के अधीन कर भुगतान करते हैं। तथापि, 31 जुलाई से श्री अमरनाथ नियमित कर निर्धारण स्कीम के अधीन कर भुगतान के लिये दायी हो जाते हैं। क्या वह ITC के पात्र हैं।

9. उत्तर / संकेत (Answer/Hints)

1. (c) **2.** (c) **3.** (b) **4.** (c) **5.** (b) **6.** (d) **7.** (c)

8. इनपुट टैक्स का आशय केन्द्रीयकर (CGST), राज्यकर (SGST) समग्रकर (IGST) या संघ क्षेत्रीय कर (UTGST), से है जो किसी पंजीकृत व्यक्ति की कर योग्य पूर्ति पर उद्ग्रहणीय है। इसमें प्रतिलोमी प्रभार के अधीन देय कर और माल के आयात पर प्रभार्य IGST/इसमें कम्पोजीशन स्कीम के अधीन देय कर शामिल नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

9. किसी पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति द्वारा ITC का दावा करने के लिये निम्नांकित चार शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक है :

(a) कर बीजक डेबिट नोट या अन्य कोई कर भुगतान सम्बन्धी प्रपत्र उसके अधिकार में हो, जैसे कि निर्धारित है,

(b) उसको माल या सेवाएँ प्राप्त हो चुकी हैं :

(c) पूर्ति सम्बन्धी कर का भुगतान पूर्तिकर्ता द्वारा सरकार को कर दिया गया है।

(d) उसने धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दी है।

10. हाँ, प्राप्तकर्ता ITC ले सकता है। तथापि, उससे अपेक्षित है कि उसने बीजक निर्गमन की तिथि से 180 दिन के अन्दर कर सहित प्रतिफल का भुगतान कर दिया है। यह शर्त वहाँ लागू नहीं है, जहाँ कर का भुगतान प्रतिलोमी प्रभार के अधीन किया गया है।

11. बिन्दु (iv) : ITC लेने की समय सीमा : का संदर्भ करें। अगले वर्ष के सितम्बर माह की विवरणी प्रस्तुति की देय तिथि अथवा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि, जो भी पहले हो; शीर्षक 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिये षर्तें एवं ग्राहयता [धारा 16]

12. ऐसा व्यक्ति जिसने पंजीयन के लिये आवेदन किया है, वह पंजीयन स्वीकृति की तिथि से पिछले दिन रहतिया रूपी इनपुट्स और रहतिया रूपी अर्द्ध निर्मित माल/तैयार माल में निहित इनपुट्स पर ITC लिया जा सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पंजीयन के लिये दायी है, और उसने दायी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर पंजीयन के लिये आवेदन कर दिया है। तब, उसके कर भुगतान के लिये दायी होने की तिथि से तुरंत पिछले दिन इनपुट्स के रहतिया और अर्द्ध निर्मित माल या तैयार माल में निहित इनपुट्स पर, ITC ली जा सकती है।

13. पूँजीगत माल और संयंत्र और मशीनरी की ऐसी पूर्ति की स्थिति में, जिस पर ITC लिया जा चुका है, पंजीकृत व्यक्ति ऐसे पूँजीगत माल और संयंत्र एवं मशीनरी ली गयी ITC की राशि को, सम्बन्धित बीजक की तिथि से 5% प्रति तिमाही की दर से कम करके, अथवा ऐसे पूँजीगत माल के संव्यवहार मूल्य पर देयकर, जो भी अधिक हो, का भुगतान करेगा।

तथापि, रिफ्रैक्टीज ब्रिक्स, माउडल्स एवं डाइज, जिग्स एवं फिक्चर्स की स्क्रैप के रूप में पूर्ति की गयी है, ऐसी स्थिति, संव्यवहार मूल्य पर देय कर का भुगतान किया जायेगा।

14. नहीं। धारा 17(5)(a) के अनुसार, मोटर वाहन पर ITC तभी ली जा सकती है, जब पंजीकृत यात्री परिवहन या ड्राइविंग/प्लांइग/नेवीगेटिंग प्रशिक्षण प्रदान करने के व्यवसाय में अथवा मोटर वाहनों की पूर्ति के व्यवसाय में लगा हुआ है।

15. IGST Act की धारा 16 (2) के अनुसार शून्य दर पूर्तियाँ प्रयुक्त आन्तरिक पूर्तियों पर इनपुट क्रेडिट लेना स्वीकृत है। CGST Act की धारा 17 के अनुसार भी ITC की अस्वीकृति उन्हीं स्थितियों में है, जब पूर्तियाँ गैर व्यावसायिक उद्देश्यों और कर योग्य पूर्तियों (शून्य दर

© The Institute of Chartered Accountants of India

पूर्ति सहित) के अतिरिक्त अन्य पूर्तियों से सम्बन्धित हैं। SEZ इकाई/विकासकर्ता को पूर्तियाँ IGST Act की धारा 16(1) के अनुसार शून्य दर पूर्तियाँ हैं। अतः BMT लि. ऐसी सभी आन्तरिक पूर्तियों पर ITC स्वीकृत होगी, जिनका उपयोग SEZ को पूर्तियाँ करने में किया गया है।

16. धागा और लाइनिंग सामग्री ऐसे इनपुट्स हैं जिनका उपयोग कर योग्य एवं कर मुक्त पूर्तियों के लिये किया जाता है। अतः ऐसी पर ITC का विभाजन कर दिया जायेगा और कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी ITC को CGST नियमावली, 2017 के नियम 43 के अधीन करदाता के आउटपुट टैक्स दायित्व में जोड़ दिया जायेगा।

$$\text{कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी पूर्ति} = \text{कॉमन क्रेडिट} \times \left(\frac{\text{करमुक्त बिक्री}}{\text{सकल बिक्री}}\right)$$

कॉमन क्रेडिट = ₹ 15000 + 5000 = ₹ 20,000

कर मुक्त बिक्री = ₹ 1 करोड़

सकल आर्वत = ₹ 1 करोड़ + ₹ 4 करोड़

$$\text{कर मुक्त पूर्तियों सम्बन्धी ITC} = ₹\ 20{,}000 \times \left(\frac{₹\ 1 \text{ करोड़}}{₹\ 5 \text{ करोड़}}\right)$$

= ₹ 4,000

₹ 4,000 की अमान्य क्रेडिट को करदाता के जुलाई माह के आउटपुट टैक्स दायित्व में जोड़ दिया जायेगा। जुलाई माह के लिये ₹ 16,000 मान्य ITC रहेगी।

17. 30 जुलाई को, इनपुट्स के रहतिया और रहतिया रूपी अर्द्धनिर्मित माल और निर्मित माल में निहित इनपुट्स और पूँजीगत माल पर ITC के लिये श्री A पात्र है, यद्यपि पूँजीगत माल पर ITC सम्बन्धित बीजक की तिथि से प्रति तिमाही या उसके किसी भाग के लिये 5% की दर से कम करके स्वीकृत की जायेगी [धारा 18(1) (c)]

© The Institute of Chartered Accountants of India